

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 17, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-38-2011-2-पांच, (34).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के उपबंधों के अधीन मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाइयों को देश के बाहर उसके निर्यात के प्रयोजन के लिए पॉलीपैक (मल्टीलेयर लो डेनसिटी पॉलिस्टर) में भारत निर्मित विदेशी मदिरा भराई की छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्र. बी-1-38-2011-2-पांच, (34).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. बी-1-38-2011-2-पांच, (34), दिनांक 8 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th December 2011

No. B-1-38-2011-2-V- (34).—In exercise of the powers conferred by Section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 11 of 1915), the State Government, hereby exempts the foreign liquor manufacturing units of Madhya Pradesh to bottle Indian made Foreign Liquor in poly pack (multi layer low density polyester) for the purpose of its export out of the country under the provisions of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.